भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3922
17 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- कृषि सांख्यिकी के लिए उपयोग किए जाने वाले कैडस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण

3922. डॉ. काकोली घोष दस्तीदारः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अखिल भारतीय नमूना रिपोर्ट 2021-22 में दर्ज है कि 67% मामलों में प्राथमिक कार्यकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले ग्राम मानचित्रों को अंतिम बार बीस वर्ष से भी पहले अद्यतन किया गया था, जिससे सर्वेक्षण आकड़ों की पहचान में बाधा उत्पन्न हो रही है;

(ख) क्या कृषि सांख्यिकी के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी कैडस्ट्रल मानचित्रों को अद्यतन करने और जीआईएस-डिजिटलीकरण करने के लिए एक समयबद्ध राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (ग): संविधान के अंतर्गत, भूमि अभिलेखों के रख-रखाव सहित भूमि और भू-राजस्व, राज्य का विषय है जिसमें भू-राजस्व, राज्य द्वारा बनाए गए उनके अधिनियमों/नियमों/विनियमों द्वारा शासित होता है। इस प्रकार, भूमि अभिलेखों को अद्यतन किया जाना राज्य का विषय है। तथापि, भारत सरकार ने 01 अप्रैल, डिजिटल इंडिया भूमि आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) नामक एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना आरंभ की जोकि केन्द्र द्वारा 100% वित्तपोषित की जानी थी, का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम को वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 97.41 प्रतिशत भूकर मानचित्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, भूमि संसाधन विभाग ने सूचित किया है कि 3 वर्ष (वर्ष 2026-27 से वर्ष 2028-29) की अवधि के लिए भूमि अभिलेख कार्यक्रम की तैयारी निर्माण/अद्यतन के लिए सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण पर एक ईएफसी नोट जिसे अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए परिचालित किया गया है।
